राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2010–2011

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001–4 फैक्स : 2779002

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	
अध्याय – 2	आयोग का वित्तीय स्वरूप	
अध्याय – 3	आयोग का कार्यक्षेत्र	
अध्याय – 4	कार्यशाला व सेमीनार एवं जागरूकता कार्यक्रम	
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	
अध्याय – 6	वर्ष 2009–10 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	

अध्याय – 1 – संगठन व शक्तियाँ

I राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ***राजस्थान राज्य महिला आयोग*** का गठन किया गया।

II आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी।

दिनांक 16 अप्रेल 2009 के पश्चात से आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से होना अपेक्षित है।

III आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण

(अ) अध्यक्ष कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
निजी सचिव	1
वरिष्ठ निजी सहायक	1
कनिष्ठ लिपिक	1
निजी सहायक	1
योग :–	4

(ब) सदस्य सचिव कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
सदस्य सचिव	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
योग :–	4

(स) पंजीयक सह–विशेषाधिकारी कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा)

नाम पद	स्वीकृत
रजिस्ट्रार	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
लेखाकार	1
वरिष्ठ लिपिक	2
कनिष्ठ लिपिक	7
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9
योग :–	21

(द) उप–सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)

नाम पद	स्वीकृत
उप–सचिव	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
योग :–	2

इसके अतिरिक्त राज्य महिला आयोग में युनीसेफ व यूएनएफपीए एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय सहयोग से क्रमशः सुरक्षित मातृत्व इकाई, परिवार परामर्श केन्द्र एवं परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र संचालित किए जा रहे है जिसमें स्वीकृत पदों का विवरण निम्नलिखित हैः–

(य) सुरक्षित मातृत्व इकाई कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
समन्वयक	1
कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
सहायक	1
योग :–	3

(र) परिवार परामर्श केन्द्र

नाम पद	स्वीकृत
परामर्शदाता	2
योग :–	2

(ल) यू.एन.एफ.पी.ए. के सौजन्य से संचालित परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र नेटवर्किंग परियोजना (30 जून 2008 तक)

नाम पद	स्वीकृत
समन्वयक	1
योग :–	1

प्ट॰ आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त में आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। धारा 14 खण्ड (2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर प्रस्तावित कार्यवाही व सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों के ज्ञापन सहित, आयोग की रिपोर्ट विधानमण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

ट॰ आयोग की शक्तियाँ

अधिनियम की धारा 10 में विस्तृत रूप से आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 10, खण्ड (1) के अनुसार आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त हैं। यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले में कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है, वहां आयोग राज्य सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने की और अभियोजन प्रारम्भ करने की सिफारिश कर सकता है। धारा 12 खण्ड (4) के अनुसार आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य सरकार उन पर विनिश्चय करने व आयोग को उसकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करने का अधिकार है। धारा 13 के अनुसार, अन्वेषण पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति ने दाण्डिक अपराध किया है, सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आयोग अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा।

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, हिंसा व उत्पीड़न की अनेकानेक घटनाओं पर अंकुश लगा पाने व प्रभावी रूप से अपने महत्त्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कर पाने की दृष्टि से अधिनियम द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त शक्तियां अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए यह शक्तियां आयोग के लिए महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करेंगी व आयोग के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि केरल के बाद राजस्थान ही देश का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार की महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

टа राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना

राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

टаа महिला नीति की क्रियान्विति

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 08 मार्च, 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई। राज्य महिला नीति की संरचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

अध्याय – 2 आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। आयोग में कार्यरत जेण्डर प्रकोष्ठ के खर्चे हेतु यूनिसेफ द्वारा तथा परिवार परामर्श केन्द्र के लिए एन.आर.एच.एम. व यूएनएफपीए के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2010–2011 में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

प्दबवउम – म्गचमदकपजनतम ैजंजमउमदज

वित जीम ल्मंत 2010.2011

ण ंवण	प्दबवउम	।उवनदज	म्गचमदकपजनतम	।उवनदज
ण	**व्यमदपदह ठंसंदबम** ;पद्ध ।ज क्वदंजपवद ।ध्ब 57ए954ण्98 ;पपद्ध छॅ . 11ए795ण्00 ;पपपद्धन्दपबमि. 82ए224ण्00 ;पअद्ध छण्त्ण्भ्ण्डण 3ए03ए466ण्00 455439ण्98 ;अद्ध ब्वउउपेपवदरू . च्ण्क्ण ।ध्बछवण14.;म्उचण निदकद्ध 15ए32ए516ण्00 च्ण्क्ण ।ध्ब छवण122 . 48ए76ए308ण्00 बैंज ठंदा 7ए60ए844ण्07 बै पद भ्ंदक 2ए272ण्00 71ए71ए940ण्07	76ए27ए380ण्05	1ण ब्वउउपेपवद म्गचमदकपजनतम 2ण न्दपबमि म्गचमदकपजनतम 3ण छत्भ्ड	82ए61ए214ण्00 1ए87ए894ण्00 13ए972ण्00
ण	**त्मबमपचज** ;पद्ध ैजंजम ळवअमतदउमदज ;पपद्ध न्दपबमि ;पपपद्ध छत्भ्ड	50ए82ए000ण्00 3ए00ए237ण्00 छपस	4ण **ब्सवेपदह ठंसंदबम** ;पद्ध न्दपबमि 1ए94ए567ण्00 ;पपद्ध छत्भ्ड 2ए89ए494ण्00 ;पपपद्ध छॅ 11ए795ण्00 ;अद्ध ब्वउउपेपवदरू . च्ण्क्ण ।ध्बछवण14.;म्उचण निदकद्ध 10ए47ए079ण्00 च्ण्क्ण ।ध्ब छवण122 . 22ए12ए649ण्00 बैंज ठंदा 8ए23ए281ण्07 बै पद भ्ंदक 201ण्00 40ए83ए210ण्07	45ए79ए066ण्07
ण	ठंदा पदजमतमेज वद ैठ ।ध्ब	19ए728ण्00	।ज क्वदंजपवद ।ध्ब	59ए971ण्98
ण	ठंदा पदजण वद क्वदंजपवद ठंदा ।ध्ब	2017ण्00		
ण	ज्मदकमत वितउ	1852ण्00		
ण	छांस बैंतहमे	68ए904ण्00		
ण	प्दजण वद च्क ।ध्ब			
ण	डपेबण क्मचवेपज ;स्ध्ब छवण 70द्ध			
	ज्वजंस	**1ए31ए02ए118ण्05**	**ज्वजंस**	**1ए31ए02ए118ण्05**

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लेखों का निरीक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – 3 आयोग का कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो, लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– दहेज, दहेज के कारण क्रूरता, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती है।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सन् 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद में दिए गए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना एवम् दिशा–निर्देशो के अनुसार समस्या का समाधान सुनिश्चित करवाना।
- गम्भीर मामलों में घटना स्थल पर जाकर जांच करना।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपसी बातचीत द्वारा समाधान करवाने का प्रयास करता है।

राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण के लिए अपने कार्यक्षेत्र को पांच प्रकोष्ठों में बांट कर कार्य कर रहा है। जिसकी विस्तृत कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है।

3.1 सुरक्षित मातृत्व इकाई :–

राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में यूनीसेफ के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस ईकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग जैण्ड़र समानता, अधिकार के साथ सुरक्षित मातृत्व, सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाओ, महिला जनसुनवाई, जनसंवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन आदि का कार्य किया जाता है। सुरक्षित मातृत्व इकाई आयोग के कार्यक्षेत्र व निर्देशों के अनुसार राज्य एवं

जिला स्तरीय प्रशासन व विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व विभागों से समन्वय करती है और उन्हें महिला सशक्तीकरण, जैण्डर समानता व सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित करती है। यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है क्योंकि ऐसी उत्पीडित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती है तो उन महिलाओं की आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला जनसुनवाई आयोजित करता है और यथा सम्भव उत्पीडित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

सुरक्षित मातृत्व इकाई के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है।

अ – महिला जनसुनवाई

उद्देश्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (घ) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने का इस दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। महिला सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित इन महिला जनसुनवाईयों का आयोजन आयोग द्वारा यूनीसेफ, राजस्थान से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाईयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ राजस्थान, सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की भागीदारी रहती है।

जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस क्षेत्र की निर्धारित आयोजक संस्था (स्वयंसेवी संगठन अथवा जिला महिला विकास अभिकरण) द्वारा पीड़ित महिलाओं का

पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जन–सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये जाते हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणो की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन–सुनवाई में पीड़िता निर्भीक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ–साथ महिला जागरूकता के भी प्रयास किये जाते है। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

15 अप्रेल 2009 के पश्चात आयोग का गठन नही होने के कारण वर्ष 2010–11 में महिला जनसुनवाई का आयोजन संभव नहीं हो सका।

जिला स्तरीय महिला जागरूकता शिविर

राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के सफल संचालन व प्रकरणों के निस्तारण के दौरान यह महसूस हुआ कि महिला सशक्तीकरण हेतु व्यक्तिगत प्रकरणों के निस्तारण के साथ–साथ ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसमें महिला हिंसा की रोकथाम हो तथा महिलाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके, इस हेतु आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को महिलाओ के अधिकार व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की एवं महिला कानून की सही एवं पूर्ण जानकारी दी जावे। जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक महिलाओं को सही मार्गदर्शन मिले व कार्यकर्ता भी जागरूक होकर बेहतर ढंग से कार्य कर सके। अतः आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 11 खण्ड ग्ट के क्रम में जिला स्तर पर महिला जागरूकता शिविर भी लगाये जाते है।

शिविर में संदर्भ व्यक्ति के रूप में जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारी, आयोग की अध्यक्ष व सदस्यगण तथा समाज सेवियों द्वारा भागीदारी की जाती है। शिविर में सत्रवार चर्चा, चेतना गीत, नाटक तथा सामूहिक चर्चा के द्वारा फील्ड़ स्तरीय महिला कार्यकर्ताओं को महिलाओं के अधिकार एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुॅचा सके।

3.2 परिवार परामर्श केन्द्र

आधुनिक सामाजिक जटिलताओं के कारण मानव सम्बन्धों की प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मकेन्द्रित व स्वार्थी दृष्टिकोण तथा पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर उच्च अपेक्षाओं ने लोगों की शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को बढ़ा दिया है। कई बार 'सामान्य' माने जाने वाले व्यक्ति का भी भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक स्तर पर स्वरूप मानवीय सम्बन्धों में नवीन प्रकार की विषमताएँ व तनाव उत्पन्न कर देता है। समाज का कोई भी वर्ग इस प्रकार की सामाजिक

व भावनात्मक समस्याओं से अछूता नहीं है, विशेषरूप से महिलाओं की स्थिति वर्तमान सन्दर्भो में अधिक जटिल व विषम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में महिला अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यह नहीं समझ पाती कि उसे क्या व किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस कारण उसे समय पर उचित न्याय नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार की समस्याओं के निदान में परामर्श की भूमिका एवं महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना आदि से राहत दिलवाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस दिशा में पहल करते हुए महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु न्छथ्च। तथा चिकित्सा (ग्रप–5) विभाग की प्च्क परियोजना के अन्तर्गत आयोग कार्यालय परिसर में सितम्बर 2004 में परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई। वर्तमान में यह केन्द्र न्छथ्च। एवं छत्भ्ड के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

परिवार परामर्श केन्द्र में पीड़ित महिलाओं के भावनात्मक व व्यवहारात्मक पक्ष के साथ–साथ कानूनी पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए समय पर उचित परामर्श एवं उपचारात्मक सहायता द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में स्वस्थ समायोजन एवं गुणात्मकता बनाए रखने की दिशा में कार्य किया जाता है तथा परिवारों के विघटन को भी रोकने का प्रयास किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा आयोग में आने वाली पीड़ित व जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी उपलब्ध करवायी जाती है।

3.4 व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनो पक्षकारों की सुनवाई व समझाईश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीडन, दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन की सुपुर्दगी, घरेलू हिंसा व द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाईश के माध्यम से समाधान किया जाता है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीडित महिलाओं को उसके पति व ससुरालजनों से भरण–पोषण राशि व उसका स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलवाया जाता है। इस प्रकोष्ठ में वर्ष 2010–11 में कुल 50 मामले दर्ज हुए जिनकी त्वरित गति से सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों की समझाईश की गई और 25 मामलों को आयोग ने सक्रियता से निस्तारण करने में सफलता प्राप्त की और पीडिता को न्याय दिलवाया 25 मामलों में नियमित सुनवाई द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आयोग त्वरित कार्यवाही कर रहा है।

3.5 शिकायत शाखा

राज्य महिला आयोग में डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई ऐसी शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक

अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीडिता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में वर्ष 2010–11 में कुल 1403 मामले पंजीकृत हुए जिनमें बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, दहेज प्रताडना, हत्या, भरण–पोषण, द्विविवाह, भूमि विवाद व कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मामले प्रमुख थे। पंजीकृत मामलों में से 623 प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर पीड़िता को न्याय
दिलवाया गया तथा 780 मामले अभी कार्यवाही में है जिनमें निरन्तर निगरानी की जा रही है और पत्र व्यवहार द्वारा अधिकारियों को अतिशीघ्र पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए समय–समय पर निर्देशित किया जा रहा है।

अध्याय – 6 आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग द्वारा वर्ष 2010–2011 में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ऐसे निस्तारित प्रकरणों में से सफलतम कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है।

1. श्रीमती डी ने आयोग में शिकायत कि की उसका प्रेम विवाह पति श्री आर से हुआ था। पति ने झगड़ा कर पीहर छोड़ दिया। इस पर दोनों पक्षकारान् को समझाइश हेतु बुलाया। दोनों पति–पत्नी की समझाइश की। दोनों साथ–साथ रहने को तैयार हो गये। और अपने घर ले गया। इसी तरह दोनों की गृहस्थी बस गई।
2. आर ने आयेाग में शिकायत कि की उसके संस्थान में कार्यरत् उच्च अधिकारी द्वारा उससे अनुचित मांग की गई। इस पर दोनों पक्षकारान् को समझाइश हेतु बुलाया गया। पीड़िता आर ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। अब उसे कोई समस्या नहीं है। इसी तरह पीड़िता आर को राहत दिलवाई गई।
3. श्रीमती ''के'' ने आयोग मे शिकायत कि की उसके ससुरालवाले आऐ दिन शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते है। दोनों पक्षकारान् को बुलाया गया और समझाइश की गई। पति आर पत्नी ''के'' को ले जोने को तैयार हो गया वह राशन वगैरह समय पर लाने का वचन दिया। प्ररकण की समय–समय अनुपालना की गई। दोनों पति–पत्नी राजी खुशी साथ–साथ रह रहें है और आपस में कोई शिकायत भी नहीं थी। इस तरह दोनों की गृहस्थी बस गई।
4. श्रीमती ''एन'' ने शिकायत कि की शादी के कुछ दिनों बाद ही पति ने मारपीट शुरू कर दी। पति दूसरी शादी करने की धमकी देता है आदि–आदि। इस पर दोनों पति–पत्नी को तलब कर बुलाया गया । दोनों पति–पत्नी की समझाइश की। दोनों पति–पत्नी की विभिन्न तारीख पेशियों पर समझाइश कीं। तब उन्होंने बतलाया कि वह साथ–साथ रह रहें है और आपस में कोई शिकायत नहीं है। दानों के बीच राजीनामा हो चुका है। इस तरह दोनों गृहस्थी बसाकर राहत दिलवाई गई।
5. श्रीमती ''आर'' ने शिकायत कि की उसके ससुरालवाले उसे आऐ दिन शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते है। इस पर दोनों पक्षकारान् को बुलाया गया। दोनों पति–पत्नी पिछली बातों को भुलाकर साथ रहने को तैयार हो गये। पुनः अगली पेशी पर समझाइश की गई। पति ''बी'' पत्नी ''आर'' व अपने बच्चों के साथ–साथ रहने को तैयार हो गया और अपने घर ले गया। इस प्रकार उजड़ी हुई गृहस्थी को बचाया गया।

अध्याय – 7 आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2010–11 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवम् डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमे दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 01 अप्रैल, 10 से 31 मार्च, 11 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्रकोष्ठ	प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
व्यक्तिगतसुनवाई	50	25	25
शिकायत शाखा	1403	623	780
कुल योग	**1453**	**648**	**805**

आयोग में प्राप्त प्रकरणों का पृथक–पृथक विवरण अग्र प्रकार है :–

2011.12

आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंषाएं एवं महत्वपूर्ण सुझाव

राज्य महिला महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंषाएं भेजी गई जो इस प्रकार है।

महिला सशक्तिकरण हेतु नीति निर्धारण एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु अनुशंषाएं

क्र.स.	अनुशंषा का संक्षिप्त विवरण	किसकों भेजी गई	पंत्राक एवं दिनांक
1.	बारां शहर की तीन मासूम बच्चियों की संदिग्धावस्था में मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं ह्रदय विदारक घटना की थाना कोतवाली, बारां पर दर्ज एफ. आई. आर. नं. 723/2011 दिनांक 14.11.2011 में सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	प्रथम स्मरण पत्र 5024/5967 दिनांक 12.04.2012
2.	राज्य की आबकारी नीति की पुर्नसमीक्षा के क्रम मे।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्मरण पत्र 5025/5968 दिनांक 18.04.2012
3.	विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में लगाई गई शर्त ''उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 साल से अधिक आयु का न हो'' को हटााने की अभिशंसा।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्मरण पत्र 5027/5969 दिनांक 18.04.2012
4.	धारा 498ए भा.द.स. के अन्तर्गत दर्ज (दहेज प्रताड़ना में अब तुरन्त गिरफ्तारी नहीं) मामलों बाबत।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	6410 दिनांक 04.05.2012
5.	समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस. डब्ल्यू.) तथा पी.एच. डी. के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु उच्च स्तरीय राजकीय सामाजिक अध्ययन संस्थान प्रारम्भ करने के संबंध में।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	6464 दिनांक 09.05.2012
6.	राजस्थान में बढ़ते महिला अत्याचार एवं हिंसा के मामलों में त्वरित व उचित कार्यवाही हेतु पुलिस को संवेदनशील बनाने हेतु सुझााव।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	8723 दिनांक 23.07.2012
7.	जोधपुर शहर में ''प्रशिक्षु महिला सिपाहियों से ज्यादती'' की जांच हेतु राज्य महिला आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही बाबत	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	8873 दिनांक 01.08.2012

8.	महिला आयोग में पदस्थापित सदस्यगण को देय राजकीय सुविधाओं में संशोधन बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	10150 दिनांक 20.09.2012
9.	सीकर में दुष्कर्म पीड़िता को त्वरीत न्याय दिलवाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना बाबत।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	10128 दिनांक 19.09.2012
10.	बांरा शहर की तीन मासूम बच्चियों की संदिगद्यावस्था में हुई मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना की थान कोतवाली, बारां पर दर्ज एफ.आई.आर.नं. 723/2011 दिनांक 14.11.2011 में सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	द्वितीय स्मरण परत्र 10145 दिनांक 20.09.2012
11.	विधवा पेंशन हेतु लगाई गई शर्ते हटाने हेतु बजट 2013–14 मे प्रावधान बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	स्मरण पत्र 13681 दिनांक 28.02.2013
12.	राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 15. 02.2013 में प्रकाशित समाचार ''अब हफ्ते में एक दिन महिलाओ की सुनवाई'' के संबंध में।	श्री अमिताभ राय, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।	13368 दिनांक 15.02.2013
13.	महिला थानों संबंधी सुझाव।	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव (गृह) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14130 दिनांक 28.03.2013
14.	थानों में स्थापित महिला डेस्क संबंधी सुझाव।	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव (गृह) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14131 दिनांक 28.03.2013
15.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उन्पीडन–शोषण की रोकथाम हेतु विशाखा बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में जारी गाईड लाईन्स।	सी.के. मैथ्यू, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14132 दिनांक 28.03.2013
16.	विधवा पेंशन हेतु बजट 2013–14 में प्रावधान बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	13681 दिनांक28.02.2013

आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंषाएं एवं सुझााव 2011 से 2013

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंषाएं भेजी गई जो इस प्रकार है।

महिला सशक्तिकरण हेतु नीति निर्धारण एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु अनुशंषाए

क्र.	अनुशंषा का संक्षिप्त विवरण	किसकों भेजी गई	पंत्राक दिनांक	कार्यवाही
2.	विधि पाठ्यक्रम में जैण्डर एण्ड लॉ का प्रश्न पत्र सम्मिलित करने हेतु	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	3180 22.12.2011	
3.	आर्मी स्कूलों में कामकाजी महिलाओं के साथस यौन–उत्पीडन की घटनाओं को रोकने हेतु प्रचलित नियमों में संशोधन करने हेतु	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार माननीय राष्टपति, भारत, नई दिल्ली	3183 23.12.2011	बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने सहमति प्रदान की
4.	अनुदानित महाविद्यालयों की महिला व्याख्याताओ के पदस्थापन में भेदभाव दूर करने हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	3179 23.12.2011	कार्यवाही अपेक्षित
5.	कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन–उत्पीडन घटनाओं को रोकने हेतु माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा पारित विशाखा गाईड लाइन की क्रियान्विति बाबत्	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	3333 04.01.2012	कार्यवाही अपेक्षित
6.	थानो में स्थापित महिला डेस्क की कार्यप्रणाली में सुधार बाबत्	महानिदेशक (पुलिस), जयपुर।	3917 25.01.2012	कार्यवाही अपेक्षित
7.	विधवा महिलाओं के कल्याण एवं उनके पुनर्वास हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	4239 10.02.2012	
9.	राज्य आबकारी नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	4243 10.02.2012	
10.	बारां शहर की तीन मासूम बच्चियों की संदिग्धावस्था में मृत्यु की सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	4408 दिनांक 15.02.2012	कार्यवाही अपेक्षित
11	जिला महिला सहायता समिति की बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में करवायें जाने बाबत्	प्रमुख शासन सचिव, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार	4370 15.02.2012	कार्यवाही अपेक्षित
12.	विधवा महिलाओं से संबंधित मुद्दों (विधवा पेंशन व राजकीय नौकरी) में संशोधन बाबत्	मननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	5471 26.03.2012	
13	राजस्थान विशविद्यालय में महिला सुरक्षा की व्यवस्था बाबत्।	उप कुलपति, राजस्थान विशविद्यालय, जयपुर	5480 26.03.2012	
14.	बारां शहर की तीन मासूम बच्चियों	श्री अशोक गहलोत साहब,	प्रथम स्मरण पत्र	कार्यवाही अपेक्षित

	की संदिग्धावस्था में मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना की थाना कोतवाली, बारां पर दर्ज एफ. आई. आर. नं. 723/2011 दिनांक 14.11.2011 में सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	5024/5967 दिनांक 12.04.2012	
15.	राज्य की आबकारी नीति की पुर्नसमीक्षा के क्रम मे।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्मरण पत्र 5025/5968 दिनांक 18.04. 2012	कार्यवाही अपेक्षित
16.	विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में लगाई गई शर्त ''उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 साल से अधिक आयु का न हो'' को हटााने की अभिशंसा।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्मरण पत्र 5027/5969 दिनांक 18.04.2012	कार्यवाही अपेक्षित
17.	धारा 498ए भा.द.स. के अन्तर्गत दर्ज (दहेज प्रताड़ना में अब तुरन्त गिरफ्तारी नहीं) मामलों बाबत।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	6410 दिनांक 04.05.2012	कार्यवाही अपेक्षित
18.	समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस. डब्ल्यू.) तथा पी.एच. डी. के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु उच्च स्तरीय राजकीय सामाजिक अध्ययन संस्थान प्रारम्भ करने के संबंध में।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	6464 दिनांक 09.05.2012	कार्यवाही अपेक्षित
19.	राजस्थान में बढ़ते महिला अत्याचार एवं हिंसा के मामलों में त्वरित व उचित कार्यवाही हेतु पुलिस को संवेदनशील बनाने हेतु सुझााव।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	8723 दिनांक 23.07.2012	कार्यवाही अपेक्षित
20.	जोधपुर शहर में ''प्रशिक्षु महिला सिपाहियों से ज्यादती'' की जांच हेतु राज्य महिला आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही बाबत	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	8873 दिनांक 01.08.2012	कार्यवाही अपेक्षित
21.	सीकर में दुष्कर्म पीड़िता को त्वरित न्याय दिलवाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना बाबत।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	10128 दिनांक 19.09.2012	कार्यवाही अपेक्षित
22.	महिला आयोग में पदस्थापित सदस्यगण को देय राजकीय सुविधाओं में संशोधन बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	10150 दिनांक 20.09.2012	कार्यवाही अपेक्षित
23.	बांरा शहर की तीन मासूम बच्चियों की संदिगद्यावस्था में हुई मृत्यु जैसी	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,	द्वितीय स्मरण परत्र 10145	कार्यवाही अपेक्षित

	दुर्भाग्यपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना की थान कोतवाली, बारां पर दर्ज एफ.आई.आर.नं. 723/2011 दिनांक 14.11.2011 में सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	राजस्थान सरकार, जयपुर।	दिनांक 20.09.2012	
24.	राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 15.02.2013 में प्रकाशित समाचार ''अब हफ्ते में एक दिन महिलाओ की सुनवाई'' के संबंध में।	श्री अमिताभ राय, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।	13368 दिनांक 15.02.2013	कार्यवाही अपेक्षित
25.	विधवा पेंशन हेतु लगाई गई शर्ते हटाने हेतु बजट 2013–14 मे प्रावधान बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	स्मरण पत्र 13681 दिनांक 28.02.2013	2013–2014 की बजट घोषणा में शर्तो को हटाया गया।
26.	महिला थानों संबंधी सुझाव।	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव (गृह) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14130 दिनांक 28.03.2013	कार्यवाही अपेक्षित
27.	थानों में स्थापित महिला डेस्क संबंधी सुझाव।	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव (गृह) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14131 दिनांक 28.03.2013	कार्यवाही अपेक्षित
28.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उन्पीडन–शोषण की रोकथाम हेतु विशाखा बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में जारी गाईड लाईन्स।	सी.के. मैथ्यू, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14132 दिनांक 28.03.2013	कार्यवाही अपेक्षित

आयोग द्वारा राज्य सरकार एवं अन्य को प्रेषित अनुशंसाएं एवं सुझाव 2011 से 2013

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंषाएं भेजी गई जो इस प्रकार है।

महिला सशक्तिकरण हेतु नीति निर्धारण एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु अनुशंसाएं एवं सुझाव

क्र.	अनुशंषा/सुझाव का संक्षिप्त विवरण	किसकों भेजी गई	पंत्राक दिनांक	कार्यवाही
1.	विधि पाठ्यक्रम में जैण्डर एण्ड लॉ का प्रश्न पत्र सम्मिलित करने हेतु	1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 2. बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया। 3. अध्यक्ष, यू.जी.सी।	3180 22.12.2011	मानव संसाधन मंत्राालय एव यू.जी.सी. से कार्यवाही अपेक्षित बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने उक्त पाठयक्रम को सम्मिलित करने हेतु सहमति प्रदान की
2.	आर्मी स्कूलों में कामकाजी महिलाओं के साथ यौन–उत्पीडन की घटनाओं को रोकने हेतु प्रचलित नियमों में संशोधन करने हेतु	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग	3183 23.12.2011	सी.बी.एस.ई द्वारा ैमगनंस भ्तेंउमदज ब्वउउपजजम के गठन का आदेश सं. ब्ठैम्ध्।थ्थ 1730054ए 2012ध 421442 दिनांक 15.05.12 को जारी हो गया
3.	अनुदानित महाविद्यालयों की महिला व्याख्याताओ के पदस्थापन में भेदभाव दूर करने हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	3179 23.12.2011	प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित।
4.	कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन–उत्पीडन घटनाओं को रोकने हेतु माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा पारित विशाखा गाईड लाइन की क्रियान्विति बाबत्	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	3333 04.01.2012	समितियों के गठन की रिपोर्ट आयोग को लगातार प्राप्त हो रही है। जहॉ कमियां नजर आई पुनः कहा गया।
5.	थानो में स्थापित महिला डेस्क की कार्यप्रणाली में सुधार बाबत्	महानिदेशक (पुलिस), जयपुर।	3917 25.01.2012	सुधार की प्रक्रिया व आयोग द्वारा महिला डेस्क की निगरानी जारी है।

6.	राज्य आबकारी नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	4243 10.02.2012	मुख्य सचिव, वित्त विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7.	जिला महिला सहायता समिति की बैठक पुनः जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में करवायें जाने बाबत्	प्रमुख शासन सचिव, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार	4370 15.02.2012	महिला अधिकारिता सहित पॉच विभाग, पंचायती राज विभाग को दिये गये है, अतः संभव नही है।
8.	राजस्थान विश्विद्यालय में महिला सुरक्षा की व्यवस्था बाबत्।	उप कुलपति, राजस्थान विश्विद्यालय, जयपुर	5480 26.03.2012	कार्यवाही अपेक्षित
9.	बारां शहर की तीन मासूम बच्चियों की संदिग्धावस्था में मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना की थाना कोतवाली, बारां पर दर्ज एफ. आई. आर. नं. 723/2011 दिनांक 14.11.2011 में सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	4408 दिनांक 15.02.2012 5024/5967 दिनांक 12.04.2012 10145 दिनांक 20.09.2012	सी.आई.डी.(सी.बी.) पुर्नसमीक्षा हेतु अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस) को प्रेषित।